



छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक: स्था.दो/5-12 (2)/2019 | 292

दुर्ग, दिनांक: 07/08/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ संवाद,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बी.एफ.एस.सी. प्रथम वर्ष, शैक्षणिक सत्र 2019-20 की द्वितीय काउंसिलिंग सूचना अनुमोदन उपरांत प्रकाशन बाबत ।

—00—

विषयान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा के बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम 2019-20 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसिलिंग सूचना क्र. 1291 दिनांक 11/11/19 को प्रदेश से प्रकाशित होने वाले किसी दो प्रमुख समाचार पत्रों के समस्त संस्करण में न्यूनतम दर पर कम से कम स्पेस में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।

प्रकाशन पश्चात् देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु शासन द्वारा निर्धारित विज्ञापन दर के साथ समाचार पत्र की एक प्रति सहित अधिष्ठाता, मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा के नाम से भेजने का कष्ट करेंगे ।

संलग्न :- सूचना की प्रति ।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: स्था.दो/5-12 (2)/2019

दुर्ग, दिनांक: /08/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मान. कुलपतिजी के निज सहायक, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
2. निदेशक शिक्षण, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
3. अधिष्ठाता, मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा को उनके प्रस्ताव क्र. 806 दिनांक 04/09/2019 के संदर्भ में ।
4. प्रभारी अधिकारी, I.C.T. सेल छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग कृपया वेबसाई में अपलोड करने की कृपा करें ।

/
कुलसचिव



छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

क्र. का.वि./शैक्ष./2019-20/1292

दिनांक: 07/09/2019

मात्स्यकी महाविद्यालय (छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय) कवर्धा में बी.एफ.एस.सी. स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में रिक्त सीटों की द्वितीय काउंसिलिंग एवं प्रवेश की सूचना

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत मात्स्यकी महाविद्यालय, कवर्धा में बी.एफ.एस-सी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये द्वितीय काउंसिलिंग हेतु रिक्त सीटों का विवरण तालिका-1 एवं तालिका-2 में दिया गया है:-

तालिका-1 शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु सीटों पर श्रेणी एवं वर्गावार आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

खुली स्पर्धा (ओ.सी) अनारक्षित सामान्य						अनु.जनजाति (एस.टी.)			अनु.जाति (एस.सी.)		अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (ओ.बी.सी.)			योग 39						महायोग	
X	F	FF	S	D	J&K	X	F	K	X	F	X	F	K	X	F	K	F	S	D		J&K
0	0	1	1	1	1	15	8	1	2	3	1	4	1	18	15	2	1	1	1	1	39

वर्ग F= महिला, K= कृषक, FF= स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, D=निःशक्तता, X= इन पांच में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग

तालिका-2 विभागीय एवं अन्य कोटा की सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में (बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु) वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

क्र.	जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है उसका नाम	कुल सीट
1.	विभागीय कोटा (छ.ग. शासन मत्स्य पालन विभाग) में कार्यरत व्यक्तियों के लिए	02
2.	मछुआरा वर्ग के लिये।	05
योग:-		07
कुल सीट का योग:-		39+07=46

विभागीय एवं अन्य कोटा में विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही अनुशंसित होंगे तथा अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियम -4,5,6 एवं 09 बंधनकारी होगा।

राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2019 की प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग का कार्यक्रम निम्नानुसार है: काउंसिलिंग स्थल:- मात्स्यकी महाविद्यालय, नवीन परिसर, मजगांव रोड, सेवई कछार, कवर्धा (छ.ग.)

काउंसिलिंग दिन एवं समय	कार्य विवरण	श्रेणी एवं वर्ग/प्रवर्ग (नीट मेरिट)
दिनांक 12/09/2019 (गुरुवार) 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक।	पंजीयन हेतु आवेदन पत्र की बिक्री एवं जमा।	नीट 2019 मेरिट में केवल छत्तीसगढ़ निवासी सभी वर्ग/प्रवर्ग के 01 से अंतिम रैंक तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
13/09/2019 (शुक्रवार) प्रातः 11:00 बजे से	प्रावीण्यता के आधार पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जावेगी।	

काउंसिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश:-

- प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 10+2 की बारहवीं कक्षा में भौतिक रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय सहित कुल प्राप्तांक न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के छात्रों को 10+2 में कुल प्राप्तांक न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है किन्तु राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2019 में न्यूनतम प्राप्तांक का बंधन नहीं होगा।

2. केवल उपस्थिति दर्ज किये गये प्रत्याशियों को **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2019** में प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा।
3. काउंसिलिंग (प्रवेश) में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को समय पर उपस्थिति देना होगा। काउंसिलिंग समय, तिथि एवं स्थान का ध्यान रखें। समय पर उपस्थिति दर्ज न होने पर प्रावीण्यता पर अगली रैंक के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी को रू. 500/- तथा अनु.जाति, अनु.जन.जाति को रू. 300/- काउंसिलिंग फीस जमा कर पंजीयन कराना होगा।
4. काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) **राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2019** की अंकसूची (2) 12वीं की अंकसूची (3) 10वीं की अंकसूची (4) छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र (5) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) (6) आय प्रमाण पत्र (7) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) (8) यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) महाविद्यालय का है तो प्रवजनन (Migration) प्रमाण पत्र (9) शिक्षा में अन्तराल (गैप) होने की दशा में नोटरी से अभिप्रमाणित शपथ पत्र (10) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (11) स्वयं के 03 पासपोर्ट साईज के फोटो (नवीनतम) एवं (12) सक्षम संस्था से दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (13) जाति सत्यापन (14) निश्चित प्रारूप में कृषक एवं मछुवारा प्रमाण पत्र (प्रारूप से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)।
5. **बी.एफ.एस.सी. प्रवेश नियम-201** बंधनकारी होंगे। प्रत्याशियों को महाविद्यालय द्वारा पृथक से बुलावा पत्र (Call letter) नहीं भेजा जावेगा। योग्य अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकता है।
6. अस्थाई सीट आबंटन के पश्चात् प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान या तत्पश्चात् कभी भी प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर आबंटन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा गलत जानकारी देने/सही जानकारी छुपाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. **शुल्क विवरण-** प्रति सेमेस्टर गैर छात्रावासी : को रू. 13,500/- एवं छात्रावासी को रू. 19,907/- सीट आबंटन होते ही जमा करना होगा। शुल्क जमा न करने पर प्रावीण्यता पर अगली रैंक के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा। उक्त शुल्क के अतिरिक्त नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिये रू. 150/- तथा एस.सी. एवं एस.टी. के लिये रू. 40/- देय होगा।
8. छात्रावास में सीट उपलब्ध नहीं होने से यह सुविधा नहीं दी जा सकेगी।
9. किसी शंका समाधान हेतु मोबाइल क्र. **8839564710** पर कार्यालयीन समय 10:00 से 5:00 तक संपर्क कर सकते हैं।
10. विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.cgkv.ac.in पर काउंसिलिंग सीटों की उपलब्धता एवं प्रमाण पत्रों के प्रारूपों की विस्तृत सूचना देखें।
11. किसी भी तरह के वाद-विवाद होने पर विश्वविद्यालयीन काउंसिलिंग एवं प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।


कुलसचिव

